भाग एक : खण् ड आठ

मध् य ूदेश, इमारती लकड़ी (बहती हुइर्, िकनारे अटकी हुई, डूबी हुई, िबना ः वामी की) िनयम, 1986

सार संक्षेप - राज् य शासन का यह मत है िक अिधसूचना ब. 1120 िदनांक 22-11-1911 के द्वारा जो बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी हुई, डूबी हुई िबना ः वामी की, लकड़ी के िलये जो िनयम बने थे, उनका आज की पिरिःथित के अनुसार संशोधन आवँ यक है। अत: राज् य शासन एतद्दवारा राज् य के आरिक्षत, संरिक्षत, अवगीर्कृत वनों के भीतर या बाहर के समः त तालाबों (Tanks), सरोवर (Lakes) और निदयों में बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी हुई, डूबी हुई, िबना ः वामी की, इमरती लकड़ी की ू ािप्त (Acquisition) और संमहण (Collection) के सम् बन् ध में, इस सम् बन् ध में पूवर् में बनाये सब िनयमों, आदेशों कोरद्दकर,िनम् न िनयम बनाता है -

1. संिक्षप् त नाम, िवः तार तथा ूारम् भ -

(1) इन िनयमों का नाम "मध् य ूदेश, इमारती लकड़ी (बहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, िकनारे लगी और िबना ः वामी की) िनयम, 1986" होगा।

(2) इसका िवः तार पूरे मध् य ूदेश क्षेऽ में होगा।

(3) ये िनयम मध् य ूदेश राजपऽ में ूकािशत होने वाले िदनांक से ूभावशील होंगे।

2. पिरभाषाएं -

(1) 'अिधनियम से तात् पयर्' भारतीय अिधनियम, 1927 (वषर् 1927 का 16) है।

(2) "बहती हुई" िकनारे लगी', 'अटकी हुई' डूबी, या िबना ः वामी की" से तात् पयर् कोई िचन् हांिकत या िबना िचन् हांिकत लकड़ी जो मोटाई में 60 से.मी. या अिधक तथा लंबाई में आधा मीटर या उससे अिधक हो।

(3) "िविनिदर्ं ट क्षेऽ" (Specified area) से तात् पयर् ऐसे क्षेऽ से है जो वन मण् डलािध कारी घोिषत करे और जहाँ बहती हुई िकनारे लगी, अटकी हुइर्, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी को पकड़ने का कायर् उस ूकार व उस व् यिक्त द्वारा, िजन् हें वन मण् डलािधकारी आदेिशत करे, िकया जावे।

3. बहती हुई, अटकी हुइर्, डूबी, िबना ः वामी की लकड़ी पर हक व अिधकार - ऐसी समः त अिचन् हांिकत (Unmarked) इमारती लकड़ी, जो िकसी मुख् य नदी, उसकी सहायक निदयों, सरोवर या तालाब में बहती, िकनारे लगी, डूबी या िबना ः वामी की, पाई जावेगी वह राज् य शासन की संपित्त होगी जब तक कोई व् यिक्त उस पर अपना हक व अिधकार का दावा िसद्ध नहीं करता।

4. बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी, डूबी या अन् य िबना ः वामी की लकड़ी को पकड़ने का अिधकार

(1) वन मण् डलािधकारी द्वारा अिधकृत कोई वन अिधकारी या अन् य व् यिक्त, बहती हुई िकनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या अन् य ूकार की, िबना ः वामी की लकड़ी को पकड़ सकता है :
परन् तु इमारती लकड़ी को इस ूकार पकड़ने के उपरान् त, उसे वन अिधकारी को िजसे वन मण् डलािधकारी अिधकृत करे, सौंपना होगा और ऐसे व् यिक्त को, िजसने लकड़ी पकड़ कर वन अिधकारी को सौंप दी है, पकड़ने का व् यय, वन मण् डलािधकारी के िनणर्य अनुसार िमलेगा। (2) वन मण् डलािधकारी को बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी पकड़ने के िलये िवशेष व् यवः था करने से कोई के िनयम बािधत नहीं होंगे। वन मण् डलािधकारी द्वारा अिधकृत व् यिक्त के अितिरक् त िविनिदर्ं ट क्षेऽ में कोई अन् य व् यिक्त को बहती हुइर् िकनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी को पकड़ने का अिधकार नहीं होगा।

(3) िविनिदर्ं ट क्षेऽ (Specified area) में पकड़ी गई (Salved) सभी बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी हुइर्, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी को िवशेष हथौड़ें (Marking Hammer) से िचन् हांिकत िकया जावेगा और वन मण् डलािधकारी द्वारा िनधार्िरत कां ठ भण् डार (Depot) में संमहीत िकया जावेगा। ये पकड़ने का कायर् िनम् न अनुसार िकया जा सकता है :

(i)िवभाग द्वारा।

(ii) कायर् ठेके (Job contractor) द्वारा।

(i)परन् तु जब कायर् 'कायर् ठेका' (Job Contract) पर कराना आवँ यक हो तो ः थानीय ूचार कराकर आवेदन ूाप् त करना चािहये और िजस व् यिक्त को ठेका िदया जावे उससे पयार्प् त रािश 'नकद जमानत' (Cash security) के रूप में जमा कराना चािहये।

(ii) "जॉब कान्शेक्टर" (Job contractor) िजन नावों व नािवकों को लकड़ी पकड़ने के कायर् पर लगावेगा, उसका वन मण् डलािधकारी से पंजीकरण करावेगा। इस पंजीकरण हेतु कोई फीस देय नहीं होगी।

(iii) "जॉब कान्शेक्टर"ऐसी ूाप् त समः त इमारती लकड़ी को, कािटर्ंग चालान से(जो उसे इस कायर् हेतु वन मण् डलािधकारी से ूाप् त होंगे), तत् काल पिरवहन कराकर ऐसे िडपो में देगा िजसे वन मण् डलािधकारी ने इस ूकार की लकड़ी ूाप् त करने हेतु अिधसूिचत िकया हो। जॉब कान्शेक्टर, इस ूकार लकड़ी ूदान कर, उस व् यिक्त से िजसका वन मण् डलािधकारी ने अिधकृत िकया जो, ऐसी लकड़ी ूदान करने की रसीद लेगा।

(4) ऐसा कोई व् यिक्त जो यह समझता है िक इस ूकार पकड़ी एवं िडपों में संमहीत लकड़ी, पर उसका अिधकार है, तो वह लकड़ी पकड़े जाने एवं ऐसी लकड़ी के िलये ः थािपत िडपो में थप् पी में जमाने के 15 िदवस के भीतर, वन मण् डलािधकारी को अपना दावा, अपने दावा िसद्ध करने के ूमाण सिहत ूः तुत करेगा।

ऐसे आवेदन का वन मण् डलािध कारी द्वारा परीक्षण िकया जावेगा और दावा ः वीकार करने या अः वीकार करने का आदेश पािरत कर उसका िनराकरण िकया जावेगा। परन् तु िकसी दावे को जब तक अः वीकार नहीं िकया जावेगा, जब तक आवेदन को सुनवाई का अवसर नहीं िदया गया हो। वन मण् डलािधकारी द्वारा इस ूकार की गई सुनवाई की कायर्वाही को लेखबद्ध िकया जावेगा।

वन मण् डलािधकारी, इस ूकार एक ूकरणों के त् विरत िनराकरण के िलए, ऐसे दावों को िनपटाने हेतु अपने उपवन मण् डलािधकारी या सहायक वन संरक्षक को अिधकृत कर सकेगा।

5. अपील - ऐसा कोई व् यिक्त, जो उपवन मण् डलािधकारी या सहायक वन संरक्षक और/या वनमण् डलािधकारी के आदेश से पीिड़त हो, वह उसके पद में विरं ठ अिधकारी को अपील कर सकता है तथा अपीलीय अिधकारी का िनणर्य अिन्तम होगा ।

6. दावा ः वीकार होने पर ूिबया Ð उस िःथित में, जब िकसी व् यिक्त का पकड़ी गई लकड़ी का दावा ः वीकार होता है तो वह लकड़ी, वन मण् डलािधकारी द्वारा िनधार्िरत लकड़ी पकड़ने की फीस (Salvage fees) पटाने पर उसको दे दी जावेगी ।

7. बही लकड़ी संमहीत होने पर, कोई दावा न होने पर शासकीय सम् पित्त मानी जावेगी Ð समः त बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी, डूबी या िबना ः वामी की पकड़ी हुई कां ठ भंडार में संमहीत होती है और इस ूकार पकड़ने एवं िडपो में थप् पी लगाने (Stacking) के 15 िदन तक िकसी भी व् यिक्त द्वारा दावा नहीं िकया जाता तो वह लकड़ी शासन की सम् पित्त मानी जावेगी और उसका व् ययन िबबी द्वारा या अन् य िविध से, जैसा वन मण् डलािधकारी िनिश्चत करे, िकया जावेगा ।

8. ऐसे लकड़ी पर लागू होने वाले अिधिनयम Ð बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी पर भारतीय वन अिधिनयम 1927, म. ू. वनोपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम 1969, म.ू. कां ठ िचरान (िविनयमन) अिधिनयम 1984 और इनके एवं अन् य अिधिनयमों के अन् तगर्त बने िनयम लागू होंगे । वे िनयम, अिधसूचना और आदेश जो इमारती लकड़ी पर लागू होते हैं, वे जहां तक इन िनयमों के िवपरीत नहीं होंगे, इस ूकार बहती हुई, िकनारे लगी, अटकी, डूबी या िबना ः वामी की लकड़ी पर भी लागू होंगे ।